न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, RAS.

पत्रावली संख्या : 21/23 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2023/96

1. श्री नाथू पिता नारू जाट निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
2. श्री शंकरलाल पिता देवा जाट निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्री भग्गा पिता हीरा जाट निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
2. श्री कजौड़ पिता हीरा जाट निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
3. श्रीमती परतु पिता हीरा जाट निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
4. श्रीमती ऐजीबाई पिता हीरा जाट निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
5. श्रीमती नारायणीबाई पिता हीरा जाट निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
6. श्रीमती नाथीबाई पिता हीरा जाट निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
7. श्री नरेन्द्र सिंह पिता केसा दरोगा निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
8. श्री पूर्णसिंह पिता केसा दरोगा निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
9. श्रीमती सुन्दर पत्नी केसा दरोगा निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
10. श्री उदयराम पिता नन्दा जाट निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
11. श्री देवकिशन पिता वरदा निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
12. श्री नारायण पिता वरदा जाट निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
13. श्री मांगीलाल पिता वरदा जाट निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
14. श्री माधु पिता नंदा जाट निवासी जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
15. पटवारी, पटवार हल्का जैवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 06.08.2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.23 11:37:50 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा जैवाणा पटवार हल्का जैवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 798, 799, 800 किता 3 कुल रकबा 0.7123 हैक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। हम प्रार्थीगण की जमीन के पूर्वी दिशा में आराजी संख्या 797 रकबा 0.5666 हैक्टर स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता हीरा पिता सोला जाट के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। जिनका निधन हो गया है। किन्तु विरासत का नामान्तरकरण अभी वारिसान के नाम पर नही खुला है। विपक्षीगण प्रकरणग्रस्त भूमि के पड़ौसी खातेदार है। विपक्षीगण के साथ आए दिन सिमा को लेकर विवाद बना रहता है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि की चारो दिशाओ में स्थित विपक्षीगण की कृषि भूमि के मध्य पत्थरगढी का आदेश प्रदान करवाया जावे एवं विपक्षीगण को इस बात के लिए पाबंद किया जावे की वे हम प्रार्थीगण के हिस्से में आने वाली आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नही करें तथा प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवें।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी 15, 16 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरणग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी हक की भूमि है जिसमें विपक्षी संख्या 1 से 14 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीगण की चारों दिशाओ का सिमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान करावें।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅंचें है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 276 पर दर्ज आराजी नम्बर 798, 799, 800 किता 3 कुल रकबा 0.7123 हैक्टर भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षी संख्या 1 से 14 द्वारा भी बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित होकर कोई एतराज नही किया गया जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Dangi
Date: 2024.08.23 11:37:50 IST
Reason: SelfAttested

जाहीर होता है कि विपक्षी संख्या 1 से 14 को प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि की पत्थरगड़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

4. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 276 पर दर्ज आराजी नम्बर 798, 799, 800 किता 3 कुल रकबा 0.7123 हैक्टर भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे । फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(मनसुख राम डामोर) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.23 11:37:50 IST
Reason: SelfAttested